विचार बिन्दु

ईश्वर बड़े-बड़े साम्राज्यों से ऊब उठता है लेकिन छोटे-छोटे पुष्पों से कभी खिन्न नहीं होता। –रवींद्रनाथ ठाकुर

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, चुनाव आयोग के सदस्य सभी संविधान के तहत् जिम्मेदार नागरिक हैं, फिर एक दूसरे के कार्य में बाधा क्यों?

भारत के संविधान में जो व्यवस्थायें दी हैं उनके अनुसार न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका अपने अपने कार्य क्षेत्र व अधिकार क्षेत्र के पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। वाद विवाद व झगडे उसी समय पैदा होते हैं जब ये संस्थायें एक दूसरे के दायित्वों में दखल देती हैं। न्यायपालिका के संबंध में सबसे मुख्य बात है कि न्यायपालिका को अपने अधिकार क्षेत्र की चुनौती के बाबत भी उसे सुनने व निर्णय करने का अधिकार है। न्याय अथवा अर्द्ध न्यायायिक अधिकारी जिसे अधिकार नहीं है, उसे भी उतना ही अधिकार है जो सडक पर चलने वाले व्यक्ति को प्राप्त हैं।

सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे बडी संस्था है और शक्तिशाली भी। संविधान ने हमें मूल अधिकार दिये हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। मूल अधिकार के संरक्षण का अधिकार, सिविल कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दिये हैं। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कई निर्णयों में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगने से पूर्व पहिले नीचे की अदालत से न्याय की गुहार करना चाहिये। साधारण रूप से इसकी पालना होती है, किन्तु समय-समय पर बडी संस्था अपने विवेक के अनुसार अनुच्छेद 32 की याचिका पर मूल अधिकार के खण्डन होने पर कार्यवाही कर सकती है। इसी प्रकार पीआईएल का मामला है। कोई भी एडवोकेट पीआईएल जनहित में दाखिल कर सकता है। ऐसी पीआईएल की बाढ आ रही है। इन सबके कारण सही न्याय मिलना कठिन होता जा रहा है। इन दिनों सैकडों पीआईएल दायर हुई हैं। एडीआर की याचिका 2019 में पेश हुई थी जो Form No.17 C Part-I (Account of Votes Recorded के बाबत हैं।

पिटीशन के एडवोकेट, चुनाव आयोग व सरकार की ओर से कई वैधानिक प्रश्नों पर बहस हुई और अन्त में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश शर्मा के वेकेशन बैंच ने कहा कि स्थिति में भारी परिवर्तन हो चुका है, अब आयोग के लिये आवश्यक मैन पावर की व्यवस्था करना कठिन व चुनौती पूर्ण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बूथ वार मतदान का डेटा जारी करने की याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से यह मांग की गई थी कि इस प्रकरण की चुनाव के बाद सुनवाई की जावे।

चुनावों के मामले में चुनाव आयोग पूर्ण रूप से सक्षम है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही दृष्टिकोण अपनाया है कि कोर्ट का दखल न हो। आयोग के एडवोकेट मनिन्दर सिंह की बहस थी कि याचिका संदेह के आधार पर है अत: इस पर सुनवाई नहीं की जानी चाहिये। इस केस में अन्तरिम आदेश व फाइदल आदेश में फर्क नहीं है। लेखक का अपना विचार है कि अन्तरिम सहायता और फाइनल आदेश में अधिक अन्तर न हो तो पिटीशन में Final Disposal का नोटिस देना उचित होगा। इससे केसों का निस्तारण अधिक होगा। बहस का सार यही था कि संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा होना चाहिये तथा केवल कानून के ज्ञान से यह नहीं मानना चाहिये कि सभी विषयों के एडवोकेट व जज एक्सपर्ट हैं। जजों की ट्रेनिंग आवश्यक है। मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक कुरान में उल्लेख मिलता है जहां कहा गया है, हे! खरीफा तेने बहुत न्याय कर लिया अब वहीं वापिस जा और शिक्षा प्राप्त कर जहां से तू आया है। केन्डीडेट्स के एजेन्टों के पास Form 17 C में मतदान डेटा दिया गया है, इसके अतिरिक्त भी उनके पास अन्य विवरण रहते हैं। अत: डेटा में परिवर्तन करना संभव ही नहीं है।

Form 17 C का यह केस एक उदाहरण है कि कोर्ट, आयोग, एडवोकेट आदि यदि शुद्ध भाव से चुनाव की प्रक्रिया को करें तो गलती की संभावना को समाप्त किया जा सकता है। इस केस में 2019 ही में निर्णय हो जाना चाहिये था, किन्तु यह प्रकरण 2024 तक चलता रहा और अन्त भी जिस तरह हुआ वह कोर्ट का यशस्वी निर्णय न होकर केस का निस्तारण मात्र का आदेश था।

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट पर केसेज का भार बहुत है, इसे कम करने के लिये ट्रिब्यूनल्स का विकास किया गया, किन्तु इसके विपरीत भी हाईकोर्टस् विशेष विषयों की ट्रिब्यूनल के आदेश में दखल दे रही हैं। ऐसे मामलों में इन विषयों के दो भिन्न आदेश भी मिलते हैं, किन्तु सब कुछ हो रहा है। डिमाण्ड फॉर जस्टिस करना आवश्यक मानकर पिटिशन खारिज कर दी जाती हैं, जबकि नोटिस पर डिमाण्ड स्टेचूटरी आवश्यकता नहीं है। यह तो ब्रिटेन की रिट अदालतों की एक प्रेक्टिस मात्र थी और कई सालो पहले वहां यह प्रेक्टिस समाप्त हो चुकी है; किन्तु हमारा देश इस बोझे को उठा रहा है। धर्म की प्रेक्टिस का विषय हो, चुनावों के मामले हों, कृषि कानूनों का सवाल हो, चुनावों का प्रकरण हो अनेक केसेस कोर्ट में लम्बित हो जाते हैं, चलते रहते हैं और मुख्य विषय तो गौण हो जाते हैं। मुख्य केस में स्टे के आदेश में केस चलता रहता है, न स्टे का केस निर्णित होता है और न मुख्य केस ही। एडीआर की याचिका 2019 में पेश हुई थी। एडीआर का पूरा नाम एनजीओ एसोशियेशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफोर्मस। इस केस का संबंध है Form No.17 C Part-I (account of Votes Recorded 2019 से 2024 तक यह केस चला है।

सर्वोच्य न्यायालय देश की सबसे बडी संस्था है और शक्तिशाली भी। संविधान ने हमें मूल अधिकार दिये हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। मूल अधिकार के संरक्षण का अधिकार, सिविल कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दिये हैं। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कई निर्णयों में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगने से पूर्व पहिले नीचे की अदालत से न्याय की गुहार करना चाहिये।

सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल में यह प्रश्न उठाया गया है कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर जो मत डाले गये हैं, जिनका विवरण फार्म 17 सी में दर्ज हुये हैं, उनका प्रकाशन सार्वजनिक रूप से 48 घण्टों में होना चाहिये। प्रार्थी एडीआर का कथन था कि चुनाव आयोग ने मतगणना के सही आंकडे जारी नहीं किये हैं, अत: लोकसभा चुनाव नये सिरे से हों। यह भी अनुरोध किया था कि चुनाव आयोग को यह निर्देशन दिया जावे कि वह वर्तमान में हो रहे लोकसभा चुनावों के दौरान प्रत्येक बूथ पर हुये मतदान के डेटा को अपनी वेबसाईट पर अपलोड करें।

लेखक यह मानता है कि प्राय: वर्तमान में दायर की गई जनहित याचिकायें प्रचार के लिये हैं। कई याचिकायें तकनीकी आधार पर दोषपूर्ण पाई गई हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि जिस व्यक्ति (एडवोकेट अथवा अन्य) ने पीआईएल दायर की है उसके विषय पर रिसर्च की होगी, किन्तु प्राय: ऐसा नहीं होता कृषि चुनावों को चुनौती देते समय कुछ ऐसा ही हुआ था। वाद का कारण पैदा हुआ और दूसरे ही दिन पिटीशन दायर हो जाती है। ईवीएम पर सवाल उठाये गये हैं। कई बार चुनाव हो चुके हैं, फिर भी प्रत्येक बार चुनाव के समय ईवीएम पर प्रश्न उठाये जाते रहे हैं। आज के डिजीटल युग में जो साधन उपलब्ध हो रहे हैं, उनमें दोष ढूँढना कठिन कार्य है। बहुत अनुसंधान व परीक्षण के बाद ये मशीन काम में ली गई हैं। इनमें भी परिवर्तन व परिवर्धन होता रहा है। अब ईवीएम के साथ वीवी पैट गिनती के सत्यापन के लिये है। अब जाकर यह विवाद शान्त हुआ। आप बटन दबावें और आपको वांछित जानकारी मिल जायेगी। दूसरा प्रश्न जो बाधा बनकर सामने आता है वह है तकनीकी जानकारी का अभाव है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि हमारे जजेज भी तकनीकी रूप से उतने ही दक्ष हैं, जिन्होंने यह प्रक्रिया बनाई है।

प्रथम चुनाव के समय ही चुनाव कानून बनायें गये थे और चुनावों के विषय में विवादों के निपटारे के लिये Electiion Tribunal बनाये गये थे। चुनाव की घोषणा होने पर आचार संहिता लागू होती है और चुनावों के अपराधों के बाबत समुचित प्रावधान हैं। हेट स्पीच और गलत Personation के उपरान्त आदि के बाबत फौजदारी कार्यवाही का प्रावधान है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही है कि चुनाव कोर्ट का अधिकार क्षेत्र उसी समय आता है जब चुनाव का नतीजा घोषित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ट्रिब्यूनल चुनाव को उसी समय निरस्त करती है जब यह मानने के लिये पर्याप्त सबूत हों कि जो कृत्य हुये हैं उनके कारण चुनाव का रिजल्ट गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ हो। इतने बडे देश में नहीं के बराबर चुनाव याचिकायें हाईकोर्ट में प्रस्तुत की जाती हैं। उपरोक्त दो विषयों पर ऊपर हमने विचार किया है। जबकि ये विषय की चुनाव याचिका के विषय हो सकते थे। देश की राजधानी दिल्ली है और सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली ही में है अत: दिल्ली के वकीलों के लिये सुप्रीम कोर्ट का रास्ता सहज हो जाता है। चुनाव कानूनों में सुधार की आवश्यकता हो तो कानून में संशोधन किया जा सकता है, किन्तु देश हित में चुनावों के बाबत पीआईएल का रास्ता बंद होना चाहिये। चुनाव याचिका का तरीका अच्छा था, उससे देश भर के लोगों को न्याय मिलता रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस बाबत संविधान पीठ गठित कर चुनाव याचिका के विषय को स्पष्ट करना चाहिये और संदेश देना चाहिये कि सर्वोच्च न्यायलय चुनाव संबंधित विषयों पर सुनवाई नहीं करेगा, हाँ सुनवाई अवश्य होगी, चुनाव याचिका की अपील में। वर्तमान में निर्वाचक संबंधित मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप अनुच्छेद 329 में वर्जित किया गया है।

वर्तमान चुनावों में जो कटुता राजनीतिक पार्टीयों में देखी गई है, वह चिन्ता का विषय है। चुनाव कानूनों में संशोधन की अति आवश्यकता है। चुनावों में जो काला धन काम में आता है, उसे कैसे रोका जावे, इस पर विचार होना चाहिये। बैंक बॉन्ड के विचार को सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया है। समय निकल चुका है, फिर भी चुनाव में खडे होने वालों की योग्यता को परिभाषित शीघ्र करना चाहिये और जो नागरिक संविधान के अनुच्छेद 51क के अनुसार मूल कर्त्तव्यों की पालना नहीं कर रहा है तो उसे Disqualify किया जा सकता है। रेलवे मार्ग को सडकों को अवरोध करने और सार्वजनिक व जनता की सम्पत्ति की तोडफोड करने वालों को चुनाव लडने से Disqualify किया जाना चाहिये। एक देश एक चुनाव क्रान्तिकारी कदम है। संविधान, आर पी एक्ट आदि में संशोधन करना देश हित में है।

'यतो धर्मस्ततो जय:'

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

तथ्यहीनता का भी एक मनोविज्ञान होता है

डॉ. रामावतार शर्मा

हजारों साल तक मनुष्य इस धरती पर पांच-दस लोगों के समूह में रहता था। उस दौर में न खेती थी और न ही घर की सुरक्षा थी। ऊपर से हर तरफ खतरनाक जंगली जानवरों की भीड हुआ करती थी। पेडों पर टंगा-छुपा मनुष्य सांप, अजगर, चीते आदि जीव-जंतुओं के बीच हर समय व्यक्तिगत सुरक्षा और भूख से घिरा रहता होगा। चूंकि यह दौर हजारों वर्ष जारी रहा तो मनुष्य की आनुवांशिकता में कितने ही व्यवहार अंकित हो गए जिनको मिटाना आसान नहीं है।

यहां इस बात का ध्यान रखना होगा कि सम्मान और सुरक्षा का जीवन व्यतीत करते हुए तो मनुष्य को चंद सौ साल का ही समय गुजरा है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो मात्र दो सौ साल के आसपास ही विकसित हुई है। ऐसे में यह मान लेना कि हम या फिर हमारे विशेषज्ञ, नेता और गुरु लोग सबकुछ जानते होंगे तो यह हमारी नासमझी ही होगी।

स्वीडन में एक फिजिशियन रहते है जिनका नाम है हांस रोसलिंग। इन्होंने तथ्यात्मकता को लेकर कई बडे प्रयोग किए हैं और वृहद अध्ययन भी किया है जिसको इन्होंने अपनी एक पुस्तक फैक्टफुलनेस में संग्रहित किया है। डॉक्टर रोसलिंग के प्रयोग स्पष्ट रूप में इंगित करते हैं कि उच्च शिक्षित लोग भी तथ्य की अधिक जानकारी नहीं रखते हैं इसलिए सरकार के निर्णय विश्व में उतना परिवर्तन नहीं ला सकते हैं जितना धन इन निर्णयों के आधार पर विभिन्न योजनाओं पर व्यय होता है। दुनिया की सरकारें तथ्यहीन सूचनाओं के आधार पर असंख्य निर्णय लेती रहती हैं। यही कारण है कि सरकारी योजनाओं की बार बार समीक्षा होती रहती है। यहां सरकार किसी जनहित के लिए ऐसा नहीं करती है बल्कि तथ्यहीन सूचनाओं के आधार पर लिए गलत निर्णय को सही सिद्ध कर रही होती है। इस व्यवहार के कारण अपार जन धन की बर्बादी होती है।

डॉक्टर रोसलिंग को एक बार संयुक्त राष्ट्र संघ के एक बडे सम्मेलन में आमंत्रित किया गया जहां उन्हें विश्व के राष्ट्रों के उच्चाधिकार प्राप्त लोगों को संबोधित करना था। उनके संबोधन के दौरान जो बातें सामने आई वे विस्मित कर देने वाली थी। विश्व के तथाकथित विद्वान लोग जिनके द्वारा राष्ट्रों का भविष्य निर्धारित होता था वे तथ्यों को लेकर बहुत भ्रमित नजर आए। पाया गया कि तकरीबन हर सरकार द्वारा पुरानी, अर्थहीन, अंदाजन और पूर्वाग्रहों पर आधारित जानकारी को तथ्य का आधार बना कर निर्णय लिए जाते हैं। भारत का ही यदि एक उदाहरण लिया जाए तो दो सौ स्मार्ट शहर, स्वच्छ भारत के तहत करोडों सुविधाओं का निर्माण आदि के बारे में हम कितने तथ्यों को जानते हैं ? हमारे सारे विचार तथ्यहीन निष्कर्षों और अपनी किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति श्रद्धा पर आधारित हैं। तथ्य आधारित अध्ययन नहीं करने के कारण कितने ही व्यापारिक प्रतिष्ठान असफल होते रहते हैं। देखा गया है कि लोग समाज के बारे में पुरानी धारणाओं को ही आधार बनाए रहते हैं। वे लगातार हो रहे परिवर्तनों को नहीं देख रहे होते हैं और हर बात के बारे में अपने अनुमान को ही सत्य मानने की भूल करते हैं। इसके अलावा तथ्यात्मक आंकडे भी एकमात्र आधार नहीं हो सकते हैं। लोगों में अध्ययन करने, सुनने और संवाद करने की कला गुम होती जा रही है। लोग उसी बात को सुनना पसंद करते हैं जो वे सोचते हैं। कोई भी बात जो उनके विचारों के अनुसार नहीं है परंतु तथ्य पर आधारित है उसे लोग स्वीकार नहीं करते हैं। डॉक्टर रोसलिंग के शोध इंगित करते हैं कि दुनिया के असंख्य व्यापारिक प्रयास इन्ही कारणों से असफल होते हैं और उद्धिम असफलता तथा अवसाद के शिकार होते हैं।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो लगता है कि लोग तथ्यों की बजाय किंवदंतियों, चमत्कारों, ग्रहों, आशीर्वादों और शुभ मुहूर्त आदि पर अधिक विश्वास करते हैं। इस विश्वास को अंधविश्वास कहना इसलिए उचित होगा क्योंकि ऐसा सब करने के बाद भी असंख्य व्यापार असफल होते हैं, लाखों रिश्ते टूटते हैं, अधिकतर लोग कष्ट में बने रहते हैं। इस बारे में एक सामान्य सी बात काफी कुछ बता सकती है। यदि सरसरी तौर पर देखा जाय तो पूरे विश्व में हिंसा, आतंक, दमन, प्राकृतिक आपदा, प्रतिद्वंदिता और मानव निर्मित विध्वंश का साम्राज्य फैला हुआ है परंतु गौर से देखा जाए तो यह तथ्यों की बजाय अवधारणा और सरसरी सूचनाओं पर आधारित नजरिया है। दुनिया में उतना बुरा नहीं हो रहा जितना बताया जा रहा है। कई कठिनाइयों और कितनी ही गलत नीतियों के बावजूद दुनिया बेहतर ही हुई है। गरीबी कम हुई है, लोगों की औसत उम्र में वृद्धि हुई है, महिला शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता में प्रगति हुई है।

सरकारें चाहे तंत्र को नियंत्रित करने का प्रयास करें परंतु सोशल मीडिया द्वारा लोगों को अपनी आवाज उठाने के बड़े अवसर प्राप्त हुए हैं। वॉट्सएप के दुरुपयोग के बावजूद तथ्य आधारित प्रकाशन भी हो रहे हैं। कितने ही लोग पर्यावरण, जंगल और पहाड़ों को लालच के कारण नष्ट कर रहे हैं तो कितने अन्य लोग इनको बचाने के लिए भी प्रयासरत हैं।

मनुष्य चमत्कारों, कहानियों, चुगली और पूर्वाग्रहों तथा भूतकाल की बातों में बड़ा आनंद लेने का आदी रहा है। यह सब एक तरह की आनुवंशिकता हो गई है। नाटकीयता हजारों सालों से मनुष्य के मनोरंजन का एकमात्र साधन रही है इसलिए वह उसके जहन का हिस्सा हो चली है। यही कारण है कि विद्वान इतिहासकारों को अपशब्द कह कर लोग फिल्म को ऐतिहासिक तथ्य मानते हैं। हमें हमारी मूल प्रवृत्ति (नेचुरल इंस्टिंक्ट) को खोना नहीं है परंतु हमारे निर्णय तथ्यों पर आधारित होने चाहिएं। तथ्य आपको गलत सिद्ध कर देंगें, आपके अहंकार पर चोट करेंगे पर आखिर में आपको सफल बनाने में सहायक होंगे। तथ्य को जानने वाला व्यक्ति विनम्र होता है क्योंकि उसका अहंकार कमजोर पड़ जाता है। तथ्यात्मक विनम्रता पर आधारित जीवन में प्रवेश करते ही संसार उतना बुरा नहीं नजर आएगा जितना आप सोचते थे। संसार उतना बुरा है नहीं जितना आप सोचते हैं वरना आप भला यहां अमर बने रहने के भागीरथी प्रयास क्यों कर रहे होते? तथ्य जानिए और तथ्य को ही मानिए क्योंकि इसी को शायद दिव्य दृष्टि कहा गया है।

–डॉ. रामावतार शर्मा,
(चिकित्सक एवं लेखक)

सार्वजनिक रास्ते को खुलवाने की मांग, ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया

खेतड़ी, (निसं)। सिंघाना थाना क्षेत्र के खानपुर गांव में सार्वजनिक रास्ते को खुलवाने के मांग को लेकर गुरुवार शाम को ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर रास्ता खुलवाने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने दबंग लोगों पर पक्का निर्माण कार्य कर रास्ते को बंद करने का आरोप लगाया है।

■ ग्रामीणों ने दबंग लोगों पर पक्का निर्माण कार्य कर रास्ते को बंद करने का आरोप लगाया

सिंघाना के खानपुर गांव के लोगों ने सार्वजनिक रास्ते को खुलवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

जानकारी अनुसार खानपुर से पुहानिया, चितौसा जाने वाले रास्ते को दबंग लोगों द्वारा पत्थर डालकर व पक्का निर्माण कर बंद कर दिया। रास्ते पर हो रहे पक्के निर्माण को लेकर जब बात की गई तो उन्होंने अनसुनी कर दिया। जिस पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रास्ता खुलवाने की मांग की। विरोध कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि यह आमजन के निकलने के लिए तीस साल पुराना रास्ता है, जिस पर गांव के ही दबंग लोगों द्वारा पक्का निर्माण व पत्थर डालकर बंद कर दिया, जिसको लेकर ग्रामीणों की ओर से प्रशासनिक अधिकारियों तक शिकायत भी की गई है, लेकिन अधिकारियों द्वारा रास्ते को खुलवाने को लेकर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने से ग्रामीण विरोध में उतर आए। उन्होंने बताया कि रास्ते में निर्माण कार्य होने से रास्ता बंद हो गया तथा आमजन को निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि प्रशासन ने जल्द ही मामले में कोई संज्ञान लेकर नहीं खुलवाया तो ग्रामीणों की ओर से मजबूरन आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर महेंद्र डेला, मुनेश कुमार, बजरंग लाल, अमित डाटिका, विकास धौलू, रामचंद्र डेला, दुलीचंद डेला, ईश्वर कुमार, पवन कुमार, देवीलाल, दुलीचंद, शत्रु सिंह, शीशराम, पवन कुमार, राकेश कुमार, नरेश कुमार, शीशराम, अमर सिंह, वीर सिंह, बनवारी लाल, महेंद्र सिंह सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

प्रचंड गर्मी में पानी की किल्लत से चूरू शहर की जनता परेशान

चूरू, (कासं.)। प्रदेश में गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। जिला मुख्यालय पर भी गर्म हवाओं के कारण आम नागरिकों का घरों से निकालना बंद हो गया है। चूरू में भी तापमान एक बार 50 डिग्री पार कर चुका है, जहां एक ओर आम जनता गर्मी से त्राही-त्राही कर रही हैं वहीं दूसरी ओर शहर में बढ़ती पानी की किल्लत भी शहरवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्य शहर में पानी की सप्लाई में काम आने वाले अनेको ट्यूबवेल कहीं सूख चुके हैं तो कहीं पर पानी का स्तर नीचे होने से मोटर जल रही हैं जिस कारण जहां एक ओर आम जनता पानी की किल्लत से जूझ रही हैं। वहीं दूसरी ओर विभाग पर भी अत्यधिक गर्मी के कारण काम का दबाव बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर आचार संहिता भी आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन रही है। जानकारी के अनुसार शहर की प्रमुख सड़क नई सड़क पर पानी की सप्लाई करने वाले ट्यूबवेल का पानी खत्म हो चुका है जिस कारण से अब वहां पर नए ट्यूबवेल के लिए आचार संहिता के कारण टेण्डर नहीं हो पा रहे हैं जिस कारण से इस प्रचंड गर्मी में आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विभाग का काम भी इस कारण से बढ़ता जा रहा है क्योंकि वैकल्पिक पानी की व्यवस्था के लिए विभाग को भी भारी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योकि शहर के एक इलाके में पानी न आने के कारण दूसरे ट्यूबवेल का सहारा लेना पड़ रहा है जिससे न तो पानी पर्याप्त मात्रा में मिल पा रहा है और ना ही उचित प्रेशर आ रहा है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नए ट्यूबवेल की खुदाई के लिए टेण्डर प्रक्रिया से होकर गुजरना पडेगा जो आचार संहिता के बाद ही होगा।

■ मुख्य शहर में पानी की सप्लाई में काम आने वाले कई ट्यूबवेल सूख चुके हैं

तकनीकी कार्य के चलते 8 व 15 जून को कई ट्रेनों का मार्ग बदला

जोधपुर, (कासं)। उत्तर-पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के किशनगढ़-मंडावरिया स्टेशनों के बीच तकनीकी कार्य कराए जाने के कारण 8 व 15 जून को कई ट्रेनों का मार्ग बदला गया है ऐसे में अधिकांश ट्रेन जोधपुर होकर गुजरेगी और रास्ते के स्टेशनों पर ठहराव भी करेगी।

जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जयपुर के किशनगढ़-मंडावरिया स्टेशनों के मध्य अगले माह एलएचएस निर्माण के अंतर्गत आरसीसी बॉक्स स्थापित हो रहे हैं, ऐसे में 9 व 16 जून को ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा, जिससे रेल यातायात प्रभावित रहेगा और कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। कई ट्रेनें वाया मेड़ता रोड-जोधपुर गुजरेगी और चिन्हित स्टेशनों पर इनके किए गए ठहराव से स्थानीय यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी।

उन्होंने बताया कि ट्रैफिक ब्लॉक के कारण प्रमुख ट्रेनें श्रीगंगानगर-बांद्रा टर्मिनस अमरपुर अरावली एक्सप्रेस, वाराणसी-साबरमती वीकली एक्सप्रेस, पोरबंदर-दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट और हरिद्वार-साबरमती स्पेशल एक्सप्रेस 8 व 15 जून को जोधपुर के परिवर्तित मार्ग से चलेगी।

इन ट्रेनों का रुट बदलेगा :-ट्रेन 14701, श्रीगंगानगर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस जो 8 व 15 जून को श्रीगंगानगर से प्रस्थान करेगी वह परिवर्तित मार्ग रींगस-फुलेरा-मेड़ता रोड-जोधपुर-मारवाड़ जंक्शन के रास्ते संचालित होगी और परिवर्तित मार्ग में कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना, मेड़ता रोड-जोधपुर व लूनी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ट्रेन 19408, वाराणसी-साबरमती एक्सप्रेस जो 8 जून को वाराणसी से प्रस्थान करेगी वह परिवर्तित मार्ग रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा-मेडता रोड-जोधपुर-मारवाड़ जंक्शन होकर संचालित होगी तथा परिवर्तित मार्ग में यह रींगस, नीमकाथाना, नारनौल, फुलेरा, मकराना, डेगाना, मेड़ता रोड, जोधपुर व लूनी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ट्रेन 19408, वाराणसी-साबरमती एक्सप्रेस जो 15 जून को वाराणसी से प्रस्थान करेगी वह परिवर्तित मार्ग फुलेरा-मेड़ता रोड-जोधपुर-मारवाड़ जंक्शन होकर संचालित होगी तथा परिवर्तित मार्ग में यह फुलेरा, मकराना, डेगाना,जोधपुर व लूनी स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

ट्रेन 20937, पोरबंदर-दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस जो 8 व 15 जून को पोरबंदर से प्रस्थान करेगी वह परिवर्तित मार्ग मारवाड़ जंक्शन-जोधपुर-मेड़ता रोड-डेगाना-रतनगढ़-चूरु-लोहारु व रेवाड़ी होकर संचालित होगी तथा मार्ग में लूनी, जोधपुर, मेड़ता रोड़, डेगाना, रतनगढ़, चूरु, सादुलपुर और लोहारु स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

ट्रेन 09426, हरिद्वार-साबरमती एक्सप्रेस जो 8 व 15 जून को हरिद्वार से प्रस्थान करेगी। वह परिवर्तित मार्ग फुलेरा-मेड़ता रोड-जोधपुर-मारवाड़ जंक्शन होकर संचालित होगी तथा मार्ग में मकराना, डेगाना, मेड़ता रोड,जोधपुर व लूनी स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

15014, काठगोदाम-जैसलमेर रानीखेत एक्सप्रेस जो 8 व 15 जून को काठगोदाम से प्रस्थान करेगी वह रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा-मेड़ता रोड-जोधपुर होकर जैसलमेर जाएगी तथा परिवर्तित मार्ग में नारनौल, नीमकाथाना, रींगस, फुलेरा, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना व मेड़ता रोड स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

15013, जैसलमेर-काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस जो 9 व 16 जून को जैसलमेर से प्रस्थान करेगी वह परिवर्तित मार्ग जोधपुर-मेड़ता रोड-फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी होकर चलेगी तथा मार्ग के मेड़ता रोड, डेगाना-मकराना-कुचामन सिटी-फुलेरा-रींगस-नीमकाथाना व नारनौल स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

राशिफल शुक्रवार 31 मई, 2024

पंडित अनिल शर्मा

ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, शतभिषा नक्षत्र प्रात: 6:14 तक, विष्कुम्भ योग सांय 6:04 तक, कौलव करण प्रात: 9:39 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 11:10 से मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृष, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-मीन, बुध-मेष, गुरू-वृष, शुक्र-वृष, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज बुध वृष राशि में दिन 12:12 पर प्रवेश करेगा। आज पंचक और त्रिलोकनाथ अष्टमी है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:14 तक, लाभ-अमृत 7:14 से 10:42 तक, शुभ 12:24 से 2:06 तक, चर 5:30 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:37, सूर्यास्त 7:11

मेष
आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। चलते कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।

धनु
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त हो सकते हैं। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त कार्य व्यवस्थित होने लगेंगे।

वृष
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
व्यावसायिक कार्यों से परेशानियां दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक विवादों का निपटारा हो सकता है। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मकर
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।

मिथुन
नवीन कार्यों के संबंध में सुसंदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्य के लिए यात्रा संभव है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

तुला
परिजनों के व्यवहार के कारण दु:ख हो सकता है। आज महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कुंभ
घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। अतिथियों के आगमन से परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

कर्क
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। मानसिक तनाव बना रहेगा।

वृश्चिक
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। स्वभाव की तेजी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।